8/6/18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0 पत्रावली मुल्तवी के साथ दिनांक 14-6-18 को लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत बडोद मे पेश हो।

14-6-18 पत्रावली लोक अदालत केम्प बडोद में पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी नं0 5, 6 स्वयं मजमें आम में उपस्थित, उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का आधोपान्त गहन मनन अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अन्य साक्ष्यादि पर विधिक विचार किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में वर्णित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु का अध्ययन करनें पर यह पाया कि प्रार्थी विवादित भूमि का अभिलिखित सहखातेदार है, किन्तु उसका विवादित भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर कब्जा प्रमाणित है।

प्रार्थी को अपरिमित क्षति होना पूर्णतया प्रमाणित नहीं है। परन्तु विवादित भूमि को दौराने वाद अन्तरण/बैचान किया जाता है तो इससे अपरिमित क्षति भी उपयपक्ष को ही होना संभाव्य है।

मांगीलाल

अब्दुल लतीफ

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता जो किस तामील में

प्रकरण के अन्य तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है जिनका विनिश्चय दावे में तय किया जावेगा।

प्रार्थी को या प्रतिपंक्षीगण को विवादित आराजीयात् पर या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार हैं या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर, परन्तु दावे की मूल विषयवस्तु जो कि विवादित आराजी है, को सुरक्षित तथा संरक्षित बनाये रखने के मध्यनज़र और साथ ही पक्षकारान् के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ एवं वाद बाहुल्यता को रोकने के कम में हम प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अंशतः स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंशतः स्वीकार किया जाता है, तथा आदेश दिये जाते है कि, उभयपक्ष विवादित भूमि वाके माल मौज़ा बडोद तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 1140 रकबा 0.58 हे0 भूमि का अन्तरण, बैचान मूलवाद के निस्तारण पर्यन्त नहीं करें। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

Scanned by CamScanner